| राजस्थान राज–पत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
| --- | --- |
| साधिकार प्रकाशित | *Published by Authority* |

सत्यमेव जयते

श्रावण 18, बुधवार, शाके 1939–जुलाई 19, 2017
*Sravana 18, Wednesday, Saka 1939–July 19, 2017*

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

**कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग**

**अधिसूचना**

**जयपुर, 19 जुलाई, 2017**

जी.एस.आर.– 52 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय लिपिचकवर्गीय स्थापन (संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

**2. संशोधन.**– राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, में, –

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति ''अधीनस्थ न्यायालय'' या ''अधीनस्थ न्यायालयों'' जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति क्रमशः ''जिला न्यायालय'' या ''जिला न्यायालयों'' प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति ''वरिष्ठ निजी सहायक'', ''निजी सहायक'' और ''आशुलिपिक'' जहां कहीं भी आयी हों, के स्थान पर अभिव्यक्ति ''आशुलिपिक ग्रेड–I'', ''आशुलिपिक

ग्रेड–II" और "आशुलिपिक ग्रेड–III " प्रतिस्थापित की जायेगी।

**3. नियम 1 का संशोधन.**– उक्त नियमों के नियम 1 में,–

(i) विद्यमान उप–नियम (i) में विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान उप–नियम (iii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(iii) ये, जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन में नियुक्त समस्त व्यक्तियों पर लागू होंगे।"

**4. नियम 5 में संशोधन.**– उक्त नियमों के नियम 5 के विद्यमान उप–नियम (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(ii) स्टाफ में, निम्नलिखित एक या अधिक पद–प्रवर्गों से गठित आशुलिपिक संवर्ग और सामान्य संवर्ग समाविष्ट होंगे जो प्रत्येक पद के सामने उपदर्शित किये गये अनुसार होंगे :–

(क) आशुलिपिक संवर्ग :

| | |
|---|---|
| 1 | प्रमुख जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालयों के लिए निजी सहायक एवं कार्यकारी सहायक |
| 2 | जिला एवं सेशन न्यायाधीश और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालयों के लिए आशुलिपिक ग्रेड–I |
| 3 | वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालयों के लिए आशुलिपिक ग्रेड–II |
| 4 | सिविल न्यायाधीश और अपर सिविल न्यायाधीश न्यायालयों के लिए आशुलिपिक ग्रेड–III |

(ख) सामान्य संवर्ग :

| | |
|---|---|
| 1 | प्रोटोकॉल अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी |
| 2 | वरिष्ठ मुंसरिम |

| | |
|---|---|
| 3 | कार्यालय सहायक |
| 4 | रीडर<br>(क) जिला एवं सेशन न्यायाधीश और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालयों के लिए रीडर ग्रेड–I<br>(ख) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालयों के लिए रीडर ग्रेड–II<br>(ग) सिविल न्यायाधीश और अपर सिविल न्यायाधीश न्यायालयों के लिए रीडर ग्रेड–III |
| 5 | **लिपिक ग्रेड –I**<br>(क) सीनियर लिपिक<br>(ख) मुख्य नकलनवीस<br>(ग) अभिलेखपाल<br>(घ) जिला एवं सेशन न्यायाधीश और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालयों में सिविल लिपिक, फौजदारी लिपिक और निष्पादन लिपिक<br>(ड•) सेल अमीन एवं विवरणी लिपिक<br>(च) पुस्तकालयाध्यक्ष और<br>(छ) नाजिर |
| 6 | **लिपिक ग्रेड–II**<br>(क) सिविल लिपिक<br>(ख) फौजदारी लिपिक<br>(ग) निष्पादन लिपिक<br>(घ) सहायक नाजिर<br>(ड•) सहायक अभिलेखपाल<br>(च) निरीक्षण लिपिक<br>(छ) टंकक<br>(ज) नकलनवीस<br>(झ) हिन्दी टंकक एवं नकलनवीस<br>(ञ) प्राप्ति और प्रेषण लिपिक और<br>(ट) कार्यभार ग्राही लिपिक |
| 7 | कोई अन्य पद जो सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें। |

स्पष्टीकरण:– प्रथमत: संबंधित जजशिप के समस्त पदधारियों को, शेट्टी आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में राज्य सरकार

द्वारा दी गयी स्वीकृति के अनुसार तत्समान पदों में निम्नलिखित रीति से समायोजित/विलीन/पुनःनामित किया जायेगा :-

| आशुलिपिक संवर्ग | |
|---|---|
| विद्यमान पद जिन्हें विलीन/समायोजित /पुनःनामित किया जाना है | शेट्टी आयोग की सिफारिश के अनुपालन में सरकार द्वारा स्वीकृत पद जिनमें विद्यमान पदों को विलीन/समायोजित/पुनःनामित किया जाना है और वह रीति जिससे पदों को भरा जाना है। |
| | प्रमुख जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालय के लिए निजी सहायक एवं कार्यकारी सहायक<br><br>(आशुलिपिक ग्रेड-I से पदोन्नति द्वारा भरा जाना है) |
| जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालयों के लिए वरिष्ठ निजी सहायक और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालयों के लिए निजी सहायक | जिला एवं सेशन न्यायाधीश और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालयों के लिए आशुलिपिक ग्रेड-I |
| जिला एवं सेशन न्यायाधीश और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश से भिन्न न्यायालयों के लिए वरिष्ठतम आशुलिपिक जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों की संख्या तक सीमित हों | वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालयों के लिए आशुलिपिक ग्रेड-II |
| जिला एवं सेशन न्यायाधीश और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश से भिन्न न्यायालयों के लिए शेष बचे आशुलिपिक | सिविल न्यायाधीश और अपर सिविल न्यायाधीश न्यायालयों के लिए आशुलिपिक ग्रेड-III |
| | |

| | सामान्य संवर्ग |
|---|---|
| विद्यमान पद जिन्हें विलीन/समायोजित/पुनःनामित किया जाना है | शेट्टी आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में सरकार द्वारा स्वीकृत पद जिनमें विद्यमान पदों को विलीन/समायोजित/पुनःनामित किया जाना है और वह रीति जिससे पदों को भरा जाना है। |
| | प्रोटोकॉल अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी<br>(वरिष्ठ मुंसरिम में से पदोन्नति द्वारा भरा जाना है ) |
| मुंसरिम/वरिष्ठ मुंसरिम | वरिष्ठ मुंसरिम |
| सहायक | कार्यालय सहायक |
| जिला एवं सेशन न्यायाधीश और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालय के लिए वरिष्ठतम रीडर | रीडर–I |
| जिला एवं सेशन न्यायाधीश और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश से भिन्न न्यायालयों के लिए वरिष्ठतम वरिष्ठ वर्गीय लिपिक और रीडर जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों की संख्या तक सीमित हों | रीडर– II |
| जिला एवं सेशन न्यायाधीश और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश से भिन्न न्यायालयों के लिए शेष बचे वरिष्ठ वर्गीय लिपिक | रीडर– III /लिपिक ग्रेड–I |

| | |
|---|---|
| और रीडर | |
| कनिष्ठ वर्गीय लिपिक | लिपिक ग्रेड– II |

5. **नियम 6 का संशोधन.**– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"**भर्ती की रीतियां.**– (i) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् स्टाफ में भर्ती निम्नानुसार की जायेगी:–

(क) आशुलिपिक के संवर्ग में :

(i) आशुलिपिक ग्रेड– III के रूप में सीधी भर्ती द्वारा;

(ii) आशुलिपिक ग्रेड– III से आशुलिपिक ग्रेड– II के रूप में पदोन्नति द्वारा;

(iii) आशुलिपिक ग्रेड– II से आशुलिपिक ग्रेड–I के रूप में पदोन्नति द्वारा; और

(iv) प्रमुख जिला न्यायाधीश के लिए आशुलिपिक ग्रेड–I से निजी सहायक एवं कार्यकारी सहायक के रूप में पदोन्नति द्वारा :

परन्तु यदि आशुलिपिक ग्रेड–II के पद पर पदोन्नति के लिए आशुलिपिक ग्रेड–III में से कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो इन नियमों के अनुसार आशुलिपिक ग्रेड–II के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकेगी।

(ख) सामान्य संवर्ग में लिपिक ग्रेड–II के रूप में प्रतियोगी परीक्षा द्वारा :

परन्तु प्रत्येक जजशिप में लिपिक ग्रेड– II की रिक्तियों की कुल संख्या का 25 प्रतिशत उन आदेशिका तामीलकर्ता और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा 1:2 के अनुपात में (आदेशिका तामीलकर्ता में से 1 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में से 2) भरे जाने के लिए आरक्षित रखा जायेगा जिन्होंने संबंधित जजशिप में पांच

वर्ष की सेवा की है और जो लिपिक ग्रेड–II के पद के लिए इन नियमों में विहित शैक्षणिक अर्हता रखते हैं;

(ग) प्रत्येक संवर्ग में अन्य पद पर जजशिप के भीतर पदोन्नति द्वारा :

परन्तु किसी संवर्ग में का कोई पद, संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश की सहमति और राजस्थान उच्च न्यायालय के अनुमोदन से किसी दूसरी जजशिप में, संबंधित संवर्ग में के किसी पद के तत्समान किसी पद को धारण करने वाले किसी व्यक्ति के स्थानांतरण द्वारा भी भरा जा सकेगा। उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय सेवा के किसी सदस्य को एक जजशिप से किसी दूसरी में या उच्च न्यायालय के लिपिकवर्गीय या चतुर्थ श्रेणी स्थापन के किसी सदस्य को किसी जजशिप की जिला न्यायालय सेवा में या जिला न्यायालय सेवा के किसी सदस्य को उच्च न्यायालय के लिपिकवर्गीय या चतुर्थ श्रेणी स्थापन में भी स्थानांतरित कर सकेगा।

**6. नियम 14 का संशोधन.–** उक्त नियमों के विद्यमान नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"**14. पदोन्नति.–** (i) किसी जजशिप में के पद सामान्यतः उस जजशिप में के लिपिकों के लिए आरक्षित किये जाते हैं और उच्चतर पद पर पदोन्नति सामान्यतः उनमें से की जायेगी। यदि किसी विशिष्ट पद पर पदोन्नति के लिए जजशिप में कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो अन्य जजशिप से पदोन्नति उच्च न्यायालय की मंजूरी से की जा सकेगी।

(ii) लिपिक ग्रेड–I और रीडर ग्रेड–III के पदों पर पदोन्नति के लिए चयन लिपिक ग्रेड–II में से वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किया जायेगा :

परन्तु किसी लिपिक ग्रेड–II की अगले उच्चतर पद या पद–प्रवर्ग पर पदोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि वह जिला एवं सेशन

न्यायाधीश द्वारा, अनुसूची–IV में दिये गए पाठ्य विवरण और अनुदेशों के अनुसार संचालित, लिपिकों के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता।

(iii) कार्यालय सहायक के पद पर चयन लिपिक ग्रेड–I में से वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किया जायेगा।

रीडर ग्रेड–II के पद पर पदोन्नति के लिए चयन रीडर ग्रेड–III में से वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किया जायेगा।

रीडर ग्रेड–I के पद पर पदोन्नति के लिए चयन रीडर ग्रेड–II में से वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किया जायेगा।

(iv) किसी भी आशुलिपिक ग्रेड–III को तब तक आशुलिपिक ग्रेड–II के रूप में पदोन्नत नहीं किया जायेगा जब तक वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित, इन नियमों में यथा उपबंधित गति परीक्षण उत्तीर्ण नहीं कर लेता।

(v) वरिष्ठ मुंसरिम के पद पर पदोन्नति के लिए चयन केवल योग्यता के आधार पर किया जायेगा। किसी व्यक्ति को तब तक वरिष्ठ मुंसरिम के रूप में अधिष्ठायी तौर पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह कम से कम 10 वर्ष से सेवा में न हो और उस कालावधि के दौरान उसने कम से कम 5 वर्ष के लिए लिपिक ग्रेड–I का पद या आशुलिपिक ग्रेड–II और आशुलिपिक ग्रेड–III सहित उच्चतर पद धारण न किया हो और अनुसूची–IV में दिए गए पाठ्य विवरण और अनुदेशों के अनुसार वरिष्ठ मुंसरिम की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न की हो।

(vi) वरिष्ठ मुंसरिम के रूप में पदोन्नत किसी व्यक्ति को, वरिष्ठ मुंसरिम के रूप में उसकी पदोन्नति के पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर प्रतिवर्तित कर दिया जायेगा यदि वह तीन प्रयासों के पश्चात् भी वरिष्ठ मुंसरिम की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहता है।

(vii) पदोन्नति के लिए विचार की संख्या सीमा, वरिष्ठता एवं योग्यता या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या की पांच गुना होगी :

परन्तु योग्यता के आधार पर चयन के लिए पर्याप्त संख्या में उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न होने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी स्वविवेकानुसार विचार की संख्या सीमा के बाहर किन्तु योग्यता के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के छह गुने के भीतर आने वाले उत्कृष्ट योग्यता वाले व्यक्तियों पर विचार कर सकेगा।

(viii) निजी सहायक एवं कार्यकारी सहायक के पद पर चयन आशुलिपिक ग्रेड–I में से योग्यता के आधार पर केवल पदोन्नति द्वारा किया जायेगा, जब तक कि उसने कम से कम एक वर्ष की कालावधि के लिए आशुलिपिक ग्रेड–I के रूप में कार्य न कर लिया हो।

(ix) प्रोटोकॉल अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी के पद पर चयन वरिष्ठ मुंसरिम में से योग्यता के आधार पर केवल पदोन्नति द्वारा ही किया जायेगा, जब तक कि उसने कम से कम एक वर्ष की कालावधि के लिए मुंसरिम/वरिष्ठ मुंसरिम के रूप में कार्य न कर लिया हो।

(x) इन नियमों के अन्य किन्हीं उपबंधों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस नियम के उपबंध प्रभावी होंगे। "

सं.एफ. 3(33)डीओपी/ए–II/85

`राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

कार्मिक (क–2) विभाग,

शासन सचिवालय, जयपुर

## DEPARTMENT OF PERSONNEL
## (A-Gr.-II)

## NOTIFICATION
## Jaipur, 19 July, 2017

GSR- 52 In exercise of the powers conferred by the proviso to the Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan in consultation with the High Court of Judicature for Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Subordinate Courts Ministerial Establishment Rules, 1986, namely :-

**1. Short title and commencement.-(1)** These rules may be called the Rajasthan Subordinate Courts Ministerial Establishment (Amendment) Rules, 2017
(2) They shall come into force with immediate effect.

**2. Amendment.-** In rule of the Rajasthan Subordinate Courts Ministerial Establishment Rules, 1986, hereinafter referred to as the said rules:-

(i) for the existing expression "Subordinate Courts" wherever occurring, the expression "District Courts" shall be substituted.

(ii) for the existing expression "Senior Personal Assistant", "Personal Assistant" and "Stenographer" wherever occurring the expression "Stenographer Grade-I", "Stenographer Grade-II" and "Stenographer Grade-III" shall be substituted.

**3. Amendment of rule 1.-** In rule 1 of the said rules-

(i) in the the existing sub-rule (i) for the existing expression "Rajasthan Subordinate Courts Ministerial Establishment Rules" the expression "Rajasthan District Courts Ministerial Establishment Rules" shall be substituted.

(ii) the existing sub-rule (iii) shall be substituted by the following :-

"(iii)They shall apply to all persons appointed to District Courts Ministerial Establishment."

**4. Amendment in rule 5.-** The existing sub-rule (ii) of rule 5 of the said rules shall be substituted by the following-

"(ii) The staff shall comprise of Stenographer cadre and general cadre consisting of one or more of the following Categories of post shall be as indicated against each post:-

**(A) Stenographer Cadre:**

| | |
|---|---|
| 1 | Personal Assistant cum Executive Assistant for the courts of Principal District & Sessions Judges. |
| 2 | Stenographer Grade-I for the courts of District & Sessions Judges and Additional District & Sessions Judges. |
| 3 | Stenographer Grade-II for the courts of Senior Civil Judges and Additional Senior Civil Judges. |
| 4 | Stenographer Grade-III for the courts of Civil Judges & Additional Civil Judges. |

**(B) General Cadre :**

| | |
|---|---|
| 1 | Protocol Officer cum Administrative Officer |
| 2 | Senior Munsarim |
| 3 | Office Assistant |
| 4 | Reader<br>(a) Reader Grade I for the courts of District & Sessions Judges and Additional District & Sessions Judges.<br>(b) Reader Grade II for the courts of Senior Civil Judges & Additional Senior Civil Judges.<br>(c) Reader Grade III for the courts of Civil Judges and Additional Civil Judges. |
| 5 | **Clerk Grade-I**<br>(a) Senior Clerk<br>(b) Head Copyist<br>(c) Record Keeper<br>(d) Civil Clerk, Criminal Clerk & Execution Clerk in the court of District & Sessions Judges & Additional District & Sessions Judges |

| | |
|---|---|
| | (e) Sales Amin-cum-Return Clerks,<br>(f) Librarian and<br>(g) Nazirs |
| 6 | **Clerk Grade-II**<br>(a) Civil Clerks<br>(b) Criminal Clerks<br>(c) Execution Clerks<br>(d) Assistant Nazirs<br>(e) Assistant Record Keepers<br>(f) Inspection Clerks<br>(g) Typists<br>(h) Copyist<br>(i) Hindi Typist-cum-Copyist<br>(j) Receipt and Dispatch Clerks and<br>(k) Relieving Clerks |
| 7 | Any other posts as may be sanctioned by the Government from time to time. |

**Explanation** — In the first instance, all the Officials of respective judgeship shall be adjusted/merged/renamed in corresponding posts in accordance with the sanction of State Government made in compliance of recommendations of Shetty Commission in following manner-

| STENOGRAPHER CADRE | |
|---|---|
| *Existing posts which are to be merged/adjusted/renamed* | *Posts sanctioned byGovernment in compliance of recommendation of Shetty Commission in which existing posts are to merged/adjusted/renamed and the ma in which the posts are to be filled*<br>A |
| | PA cum Executive Assistant for Court of Principal District & Sessions Judges<br>(To be filled by promotion Stenographer Grade-I) |

| | |
|---|---|
| Senior PA for the Courts of District & Sessions Judges and Personal Assistant for the Courts of Additional District & Sessions Judges | Stenographer Grade-I for the Courts of District & Sessions Judges & Additional District & Sessions Judges |
| Senior Most Stenographers for courts other than District & Sessions Judges and Additional District & Sessions Judges limited upto the number of CJM/ACJM Courts | Stenographer Grade-II for the courts of Senior Civil Judges & Additional Senior Civil Judges |
| Remaining Stenographers for courts other than District & Sessions Judges and Additional District & Sessions Judges | Stenographer Grade-III for the courts of Civil Judges & Additional Civil Judges |

**GENERAL CADRE**

| *Existing posts which are to be merged/adjusted/renamed* | *Posts sanctioned by Government compliance of recommendation of Shetty Commission in which existing posts are to be merged/adjusted/renamed and the manner in which the posts are to be filled* |
|---|---|
| | Protocol Officer cum Administrativ Officer<br>(To be filled up by promotion from Senior Munsarim) |

| | |
|---|---|
| Munsarim / Senior Munsarim | Senior Munsarim |
| Assistant | Office Assistant |

| | |
|---|---|
| Senior most Readers for the Court of District & Sessions Judge and Additional District & Sessions Judge | Reader -I |
| Senior Most Upper Division Clerks and Readers for Courts other than District & Sessions Judge and Additional District & Sessions Judge limited upto the number of CJM/ACJM Courts | Reader -II |
| Remaining Upper Division Clerks and Readers for Courts other than District & Sessions Judge and Additional District & Sessions Judge | Reader -III / Clerk Grade-I |
| Lower Division Clerks | Clerk Grade-II |

**5. Amendment of rule 6.-** The existing rule 6 of the said rules shall be substituted by the following:-

"**Methods of recruitment.-** (i) Recruitment to the staff after the commencement of these rules shall be made :-

(a) **to the cadre of Stenographer :**

(i) as Stenographers Grade -III by direct recruitment ,

(ii) as Stenographers Grade-II by promotion from Stenographer Grade-III,

(iii) as Stenographers Grade-I by promotion from Stenographers Grade-II

(iv) Personal Assistant cum Executive Assistants for Principal District Judge by promotion from Stenographers Grade -I

Provided that if a suitable person is not available amongst the Stenographer Grade-III for

promotion to the post of Stenographer Grade-II; a person may be recruited to the post of Stenographer Grade-II in accordance with these rules.

(b) to the general cadre as Clerk Grade-II by a Competitive Examination:

Provided that 25% of the total number of vacancies of the Clerk Gr-II in each Judgeship shall be reserved for being filled in by promotion from amongst, the process server and class IV employees who have put in five years service in the Judgeship concerned and possess the academic qualification prescribed in these rules for the post of Clerk Grade-II in 1 : 2 (1 Process Server and 2 Class IV Employees);

(c) to other post in each Cadre by promotion within the Judgeship :-

Provided that a post in any cadre may also be filled by transfer of a person holding a post in another Judgeship corresponding to a post in the cadre concerned, with the concurrence of the District and Sessions Judge concerned and the approval of the Rajasthan High Court. The High Court may also transfer any member of the District Courts Service from one judgeship to another or a member of the Ministerial or Class IV establishment of the High Court to the District Court Service of a Judgeship or a Member of the District Court Service to the Ministerial or Class IV establishment of the High Court."

6. **Amendment of rule 14.-** The existing rule 14 of the said rules shall be substituted by the following:-

"**14. Promotion : - (i)** The posts in a Judgeship are ordinarily reserved for Clerks in that judgeship & promotion to higher post shall ordinarily be made from amongst them. If no suitable person is available in the Judgeship for promotion to a particular post, promotion may be made from another judgeship with the sanction of the High Court.

(ii) Selection for promotion to the posts of Clerk Grade-I & Reader Grade-III shall be made from the Clerk Grade-II on the basis of seniority—cum—merit.

Provided that the Clerk Grade-II shall not be considered for promotion to the next higher post or category of posts until he passes the Departmental Examination of Clerks conducted by the District & Sessions Judge in accordance with the syllabus & instructions given in Schedule—IV.

(iii) Selection to the post of Office Assistant shall be made from Clerk Grade-I on the basis of seniority—cum—merit.

Selection for promotion to the post of Reader Grade-II shall be made from amongst Reader Grade-III on the basis of seniority—cum—merit.

Selection for promotion to the post of Reader Grade-I shall be made from amongst Reader Grade-II on the basis of seniority—cum—merit.

(iv) No Stenographer Grade-III shall be promoted as Stenographer Grade-II unless he passes a speed test as provided in these rules, held by the Appointing Authority.

(v) Selection for promotion to the post of Senior Munsarim shall be made on the basis of merit alone. No person shall be appointed substantively as Senior Munsarim unless he has been in service for at least 10 years & during that period has held the post of Clerk Gr-I or a higher post including that of Stenographer Grade-II & Stenographer Grade-III for at least five years and has passed the Departmental Examinations of Senior Munsarim according to the syllabus & instructions given in Schedule IV.

(vi) A person promoted as Senior Munsarim shall be reverted to the post held by him prior to his promotion as Senior Munsarim, if he fails to pass the Departmental Examinations of Senior Munsarim even after three attempts.

(vii) The zone of eligibility for promotion shall be five times the number of vacancies to be filled in on the basis of seniority-cum-merit or merit, as the case may be.

Provided that in case of non-availability of sufficient number of suitable persons for selection on the basis of merit, the appointing authority may at its discretion consider persons of outstanding merit outside the zone of eligibility but falling within six times the number of vacancies to be filled in on the basis of merit.

(viii) Selection to the post of Personal Assistant-cumExecutive Assistant shall be by promotion only from Stenographer Grade-I on the basis of merit, unless he has worked as Stenographer Grade-I for a period of at least one year.

(ix) The Selection to the post of Protocol Officer-cum-Administrative Officer shall be made

by the promotion from amongst Senior Munsarim on the basis of merit, unless he has worked as Munsarim/ Senior Munsarim for a period of at least one year.

(x) The provisions of this rule shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of these rules."

NO. F.3(33)DOP/A-II/85

**By Order and in the name of Governor**

Sunil Sharma
**Joint Secretary to the Government**

**Government Central Press, Jaipur.**